

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खात का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	दिनांक
1.	2	3	4.	5.	6.	7.
1	02	654 655 677 678	0.5161 0.1012 0.3467 0.2023	<p>सावनीया मुठा धान्य हिरनाय 1/4 गारि - जायसिया का - 1/2 इला - 1/4 (इरीबान)</p> <p>श्री. 4. 8. मानपुर</p>	<p>सावनीया मुठा धान्य हिरनाय 1/4 गारि - जायसिया का - 1/2 इला 1/4 (इरीबान)</p> <p>श्री. 4. 8. मानपुर</p>	<p>103/2025</p>

मुलादिक भिसल / जगदन्दी संपत्त के 2074/2077 उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1988 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महादेव अलवर के समक्ष श्रवण योग्य है।

साविक राजस्व रिकॉर्ड से भिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खातों में शुद्धि किया जाना उचित है।

पटवारी राजस्व रिकॉर्ड के भूखण्ड में साविक रिकॉर्ड के भिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण पटवारी सक्षिपत्रों के दौरान/पूर्व का संदे से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महादेव अलवर को सादर प्रेषित है।

पटवारी राजस्व रिकॉर्ड के भूखण्ड में साविक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। धारा 138 अधिनियम के अन्तर्गत किया जाये।

दिनांक 12/3/26

पटवारी (भू. अ.)
श्री. 4. 8. मानपुर
उपखण्ड अधिकारी

श्री. 4. 8. मानपुर
उपखण्ड अधिकारी

श्री. 4. 8. मानपुर
उपखण्ड अधिकारी

श्री. 4. 8. मानपुर
उपखण्ड अधिकारी